न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 24 / 2019

1 श्रीमती मूली देवी आयु 40 वर्ष पुत्री बद्रीराम पत्नी श्री सीताराम जाति गुर्जर निवासी सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासी ढ़ाणी छीपलाली तन चीपलाटा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 श्रीमती सजना उर्फ सपना देवी आयु 20 वर्ष पुत्री बद्रीराम पत्नी प्रहलाद सहाय जाति गुर्जर लिनवासी सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासी ढ़ाणी नाकावाली तन शाहपुरा जयपुर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 बद्रीराम पुत्र श्री हिम्मतराम आयु 65 वर्ष जाति गुर्जर निवासी सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 ग्यारसीलाल गुर्जर पुत्र बनवारी आयु 20 वर्ष जाति गुर्जर निवासी सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 पटवारी पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4 नायब तहसीलदार / उप पंजियक अजीतगढ़ जिला सीकर।
5 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील बाबत माननीय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उनवानी दावा मूली देवी बनाम बद्रीराम वगैरह वाद सख्या 151/2018 के आदेश निर्णय डिक्री दिनांक 07.02.2019 को अपास्त व निरस्त किये जाने बाबत्।

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 151/2018 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 1141,1142,1146,1317,1318,1319,1322,1323, 1324,1325,1327,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338 तन ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं शून्य घोषित कराने विक्रय लेख दिनांक 18.06.2018, उदघोषणा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

[redacted] अधिकारी एव
[redacted] अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादीगण द्वारा विक्रय पत्र के शून्य घोषणा के सम्बंध में मांग की गई थी। विक्रय पत्र निरस्त किये जाने के सम्बंध में किसी प्रकार की कोई मांग नही की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को नजर अंदाज किया गया है। वाद पत्र में कोई अवैधानिकता थी तो जवाब दावा लिया जाकर तनकी कायम की जाकर प्रारम्भिक तनकी के रूप में वाद पत्र के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जा सकता था। आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये वह आधार तथ्य व विधि के मिश्रित प्रश्न थे जिनका निर्धारण उभयपक्ष को सुनकर साक्ष्य के बाद किया जाना होता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2003(1) पेज 633 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि कुल किता 18 कुल रकबा 7.79 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम सुराणी के 1/4 भाग का रजिस्टर्ड विक्रय लेख प्रतिवादी नम्बर 2 के हक में दिनांक 18.06.2018 को शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहते हुए उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। किसी भी रजिस्टर्ड विक्रय लेख/दस्तावेज को शून्य घोषित करने का पूर्णतया श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को शून्य घोषित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण द्वारा विधि विरूद्व तरीके से राजस्व न्यायालय में वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील वादी ने सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर में सिविल वाद मुकदमा नम्बर 94/2018 व सिविल विविध टी.आई. मुकदमा नम्बर 87/2018 उनवानी मूल देवी बनाम बद्रीराम वगैरह का पेश कर रखा है। जिसमें सिविल न्यायालय में प्रार्थीयागण/वादियागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिविल विविध टी.आई. मुकदमा नम्बर 87/2018 उनवानी मूली देवी बनाम बद्रीराम वगैरह का दिनांक

अधिकारी एव
राजस्व अपील अधिकारी

15.11.2018 को खारिज हो चुकी है। उक्त वादपत्र विक्रय लेख दिनांकित 18.06.2018 को निरस्तीकरण कलअदम, बेअसर, शून्य घोषित कराने व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है एवं इस न्यायालय में वकील वादीयागण द्वारा पेश वादपत्र में अनुतोष वरियताकम में स्थाई निषेधाज्ञा व शून्य घोषित कराने विक्रय लेख दिनांक 18.06.2018 एवं उदघोषणा का अनुतोष चाहा गया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में नकल अपील ए.डी.जे. श्रीमाधोपुर, निर्णय सिविल न्यायालय आवेदन संख्या 87/2018, निर्णय निगरानी संख्या 1878/2019, नकल आदेशिका वाद पत्र 94/2018, नकल वाद पत्र 94/2018, नकल आदेशिका 19/2019, नकल वाद पत्र 19/2019, नकल आदेशिका आवेदन टी.आई. 12/2019, नकल आवेदन टी.आई. 12/2019 की प्रति अवलोकनार्थ पेश कर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि कुल किता 18 कुल रकबा 7.79 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम सुराणी के 1/4 भाग का रजिस्टर्ड विक्रय लोख प्रतिवादी नम्बर 2 के हक में दिनांक 18.06.2018 को शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहते हुए उक्त वादपत्र, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। किसी भी रजिस्टर्ड विक्रय लेख/दस्तावेज को शून्य घोषित करने का पूर्णतया श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को शून्य घोषित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण द्वारा विधि विरूद्व तरीके से राजस्व न्यायालय में वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादी ने सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर में सिविल वाद मुकदमा नम्बर 94/2018 व सिविल विविध टी.आई. मुकदमा नम्बर 87/2018 उनवानी मूल देवी बनाम बद्रीराम वगैरह का पेश कर रखा है। जिसमें सिविल न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी एवं
अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में प्रार्थीयागण/वादियागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिविल विविध टी.आई. मुकदमा नम्बर 87/2018 उनवानी मूली देवी बनाम बद्रीराम वगैरह का दिनांक 15.11.2018 को खारिज हो चुकी है। उक्त वादपत्र विक्रय लेख दिनांकित 18.06.2018 को निरस्तीकरण कलअदम, बेअसर, शून्य घोषित कराने व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है एवं इस न्यायालय में वादीयागण द्वारा पेश वादपत्र में अनुतोष वरियताक्रम में स्थाई निषेधाज्ञा व शून्य घोषित कराने विक्रय लेख दिनांक 18.06.2018 एवं उदघोषणा का अनुतोष चाहा गया है। विधि अनुसार विक्रय पत्र शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है इस सन्दर्भ में वादी सिविल न्यायालय में चाराजोही भी कर रहा है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी विधि वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। इन तथ्यों की पुष्टि विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नकल अपील ए.डी.जे. श्रीमाधोपुर, निर्णय सिविल न्यायालय आवेदन संख्या 87/2018, निर्णय निगरानी संख्या 1878/2019, नकल आदेशिका वाद पत्र 94/2018, नकल वाद पत्र 94/2018, नकल आदेशिका 19/2019, नकल वाद पत्र 19/2019, नकल आदेशिका आवेदन टी.आई. 12/2019, नकल आवेदन टी.आई. 12/2019 से भी होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर